वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली
उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार
पौड़ी गढ़वाल – 246123

प्रबन्ध परिषद् की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक	: 25 जून, 2019
समय	: 12:00 बजे मध्याह्न
स्थान	: वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
भरसार पौड़ी गढ़वाल – 246123

प्रबन्ध परिषद् की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त

(Minutes of 8th Meeting of the Board of Management)

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार की प्रबन्ध परिषद् की आठवीं बैठक दिनांक 25 जून, 2019 को वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रबन्ध परिषद् के अध्यक्ष डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम द्वारा की गई।

प्रबन्ध परिषद् की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः–

1.	डॉ0 बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, आई.ए.एस., कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि, श्री रोमिल चौधरी, वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल)	–	सदस्य
3.	डा0 अरविन्द शुक्ला, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक	–	सदस्य
4.	डा0 कमल सिंह, पशुधन प्रजनक पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाईव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, देहरादून	–	सदस्य
5.	श्री विजय सिंह जड़धारी, प्रगतिशील किसान	–	सदस्य
6.	डा0 एम0 सी0 नौटियाल, जाने माने उद्योगपति या उत्पादक	–	सदस्य
7.	वित्त अधिकारी, वी.च.सिं.ग.उ.औ.एवं वा.वि.वि., भरसार	–	सदस्य
8.	अधिष्ठाता, वानिकी महाविद्यालय, भरसार	–	सदस्य
9.	डॉ0 अरविन्द बिजल्वाण, संयुक्त निदेशक प्रसार	–	सदस्य
10.	प्रो0 बी0पी0 नौटियाल, कुलसचिव	–	सदस्य सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय द्वारा सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। इसके उपरान्त कुलपति महोदय की आज्ञा पर कुलसचिव द्वारा कार्यसूची (Agenda) के प्रस्तावों को एक–एक कर प्रबन्ध परिषद के सम्मुख विचारार्थ रखा गया।

प्रस्ताव सं0 2019:08:02 **दिनांक 16 नवम्बर, 2018 को सम्पन्न प्रबन्ध परिषद् की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त/ पारित संकल्प पर की गई कार्यवाही की समीक्षा।**

मा0 प्रबन्ध परिषद् की आठवीं बैठक में मा0 प्रबन्ध परिषद् की सातवी बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2018 के सभी कार्यवृत्तों पर निम्न सुझावों सहित सहमति व्यक्त की गई।

1. मा0 प्रबन्ध परिषद् की सातवी बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2018 के प्रस्ताव संख्या 2018:07:10 के सम्बन्ध में मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में विधिक सलाहकार नियुक्त करने हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये।
2. मा0 प्रबन्ध परिषद् की सातवी बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2018 के प्रस्ताव संख्या 2018:07:14 के सम्बन्ध में मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा योग्य सहायक प्राध्यापकों/अखिल भारतीय समन्वित शोध परियोजनाओं के वैज्ञानिकों को पी.एच.ड़ी./ एम.फिल. डिग्री का गैर मिश्रित अग्रिम वेतन वृद्वि दिये जाने हेतु त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में अर्हता का सत्यापन सम्बन्धित महाविद्यालयों के अधिष्ठाता/ निदेशक द्वारा किया जायेगा। यह भी निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय हेतु कुलपति को अधिकृत किया जाय।
3. मा0 प्रबन्ध परिषद् की सातवीं बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2018 के प्रस्ताव संख्या 2018:07:20 में कुलपति हेतु नये वाहन क्रय करने सम्बन्धी प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये।
4. मा0 प्रबन्ध परिषद् की सातवी बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2018 के प्रस्ताव संख्या 2018:07:21, 22, 23 पर सुझाव दिया गया कि सम्बन्धित परिसरों तथा शोध एवं प्रसार केन्द्रों हेतु सम्बन्धित ढाँचें पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, माजरीग्रान्ट के प्रभारी अधिकारी से संस्थान में शोध एवं विकास कार्यों एवं कौशल विकास डिप्लोमा के संचालन हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाय।
5. मा0 प्रबन्ध परिषद् की सातवी बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2018 के प्रस्ताव संख्या 2018:07:24 के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत विषय वस्तु विशेषज्ञों को यू.डी.ए. दिये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि कृषि विज्ञान केन्द्र, कार्यरत वैज्ञानिकों को अपने संसाधनों से एन.पी. एस. दिये जाने हेतु संसाधन जुटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
6. मा0 प्रबन्ध परिषद् की सातवी बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2018 के प्रस्ताव संख्या 2018:07:27 के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के मा. प्रबन्ध परिषद् की बैठक विश्वविद्यालय मुख्यालय भरसार में किये जाने की सहमति बनी।

प्रस्ताव सं0 2019:08:03 **विश्वविद्यालय की दिनांक 16 नवम्बर 2018 को सम्पन्न प्रबंध परिषद् की सातवीं बैठक के प्रस्ताव सं0 2018:07:18 के अनुसार विश्वविद्यालय की**

दिनांक 27 जून, 2018 को सम्पन्न प्रबंध परिषद् की छठवीं बैठक के प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव संख्या 2018:06:07 के सम्बध में प्रबन्ध परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया था कि सहायक प्राध्यापक (संविदा) तथा अन्य संविदा कर्मियों को 31 दिसम्बर 2018 तक ही आवश्यकतानुसार रखा जाए तथा इस दौरान नियमित भर्ती की प्रक्रिया कर ली जाए। इस सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद् को यह अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की तृतीय प्रबन्ध परिषद् की बैठक दिनांक 14 सितम्बर 2016 के प्रस्ताव संख्या 2016:03:07 के अनुसार विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत टीचिंग एण्ड रिसर्च पर्सनल्स (TRPs) को विनियमित किए जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किए जाने की संस्तुति की गई थी। उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा संविदा पर कार्यरत सहायक प्राध्यापक ख्टीचिंग एंड रिसर्च पर्सनल्स (TRPs), की सूची तैयार कर शासन को प्रेषित की जा चुकी है। तत्क्रम में शासन द्वारा पूछी गई विभिन्न बिन्दुओं पर आख्या भी शासन को भेजी जा चुकी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में नियमित भर्ती प्रक्रिया अपनाते हुए कुछ सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति कर ली गई है तथा शेष विज्ञापित अन्य पदों को पुर्नविज्ञापित कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी जिसे पूर्ण करने में लगभग छः माह का समय लग जाएगा। उक्त के क्रम में प्रस्तावित है कि गतिमान नियमित भर्ती प्रक्रिया के मध्येनजर शिक्षण कार्यों के संचालन हेतु सहायक प्राध्यापक (संविदा) तथा अन्य संविदा कर्मियों को 30 जून 2019 अथवा पदों को भरे जाने तक (जो भी पहले हो) की अनुमति प्रदान कर दी गयी थी। भर्ती प्रक्रिया के मध्येनजर शिक्षण कार्यों के संचालन हेतु सहायक प्राध्यापक (संविदा) तथा अन्य संविदा कर्मियों को 31 दिसम्बर 2019 अथवा पदों को भरे जाने तक (जो भी पहले हो) उनकी सेवायें जारी रखने की अनुमति प्रदान कर दी जाये ताकि विश्वविद्यालय के शिक्षण कार्य बाधित न हों।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा. प्रबन्ध परिषद् ने गहन विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को. 31 दिसम्बर, 2019 अथवा पदों को भरे जाने तक (जो भी पहले हो) तक रखे जाने की अनुमति प्रदान की। मा. प्रबन्ध परिषद् ने यह भी निर्देश दिये कि विश्वविद्यालय में 06 माह के अन्दर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाय।

प्रस्ताव सं0 2019:08:04

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु विश्वविद्यालय सेवाओं हेतु सीधी भर्ती में आरक्षण लागू करने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड सरकार की अधिसूचना सं0 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 देहरादून 05 फरवरी, 2019 के द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित आरक्षण विश्वविद्यालय में भी लागू किया जाना प्रस्तावित है, साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में विज्ञापित विज्ञापनों जिनमें कि 05 फरवरी, 2019 तक चयन प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हो पाई थी। उन विज्ञापित पदों पर उक्त शासनादेश के अनुसार संशोधित रोस्टर प्रक्रिया अपनाई जानी है। अतः

पूर्व विज्ञापित विज्ञापन संख्या UUHF/DNT/F.No. 01/01 of 2018 दिनांक 25.05. 2018, UUHF/KVK/01 of 2019 दिनांक 04.01.2019, UUHF/Direct Recruitment/ AICRP-Scientists/01 of 2019 दिनांक 14.01.2019, UUHF/DT/F.No. 01 of 2019 दिनांक 14.01.2019 एवं यू0यू0एच0एफ0/ सीधी भर्ती/सर्पोटिंग स्टाफ/01 of 2019 दिनांक 19.01.2019 को निरस्त करने का प्रस्ताव मा. प्रबन्ध परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा सहमति व्यक्त की गई तथा निर्देश दिये गये कि पूर्व में विज्ञापित उपरोक्त सभी विज्ञापनों के निरस्तीकरण हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये जायें। विश्वविद्यालय में समस्त स्वीकृत शैक्षणिक/ गैर शैक्षणिक पदों पर **आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के** शासनादेशानुसार एवं पुनः संशोधित रोस्टर प्रक्रिया अपनाने हेतु अनुमति मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रदान की गई। मा. प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कर 03 माह के अन्दर विज्ञापन जारी करते हुये नियमानुसार चयन प्रक्रिया अपनाकर नियमित नियुक्तियां की जाय।

प्रस्ताव सं0 2019:08:05 **विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों हेतु परिधान–संहिता (Dress Code) के सम्बन्ध में।**

राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों, विद्यत परिषद के सदस्यों एवं उपाधिधारक छात्र–छात्राओं हेतु परिधान–संहिता (Dress Code) तैयार किया गया है जिसमें माननीय प्रबन्ध परिषद के सदस्यों एवं उपाधिधारक छात्र–छात्राओं को किराये पर वास्केट, स्टॉल एवं टोपी उपलब्ध कराई जायेगी। अति विशिष्ठ अतिथियों (VVIP's) हेतु परिधान विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। यह संशोधित प्राविधान विश्वविद्यालय एकैडमिक रेगुलेशन 2014 के प्राविधान का स्थान लिये जाने विषयक।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हेतु परिधान–संहिता (Dress Code) में एकैडमिक रेगुलेशन 2014 के प्राविधान में संशोधन किये जाने स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं0 2019:08:06 **विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में स्नातक एवं स्नाकोत्तर उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में स्नातक एवं स्नाकोत्तर उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किये जाने हैं :–

(अ) कुलाधिपति पदक।
(ब) कुलपति द्वारा स्नातक उत्तीर्ण छात्रों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक।

(स) स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्रों को Toppers Merit Certificate.

कुलाधिपति पदक हेतु एकैडमिक रेगुलेशन 2014 अध्याय XIV (1-5) के तहत कोई भी अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया।

स्नातक छात्रों को कुलपति स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक हेतु वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 में 18 छात्र–छात्रायें योग्य पाये गये, जिनका विवरण मा. प्रबन्ध परिषद् के समक्ष रखा गया।

स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्रों की Toppers Merit Certificate सूची भी मा. प्रबन्ध परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की गई।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा सूचियों का गहन परीक्षण किया गया एवं पदक विजेताओं को पदक प्रदान किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की एवं स्नातकोत्तर छात्रों की Toppers Merit Certificate सूची पर भी अपनी सहमति प्रदान की।

प्रस्ताव सं0 2019:08:07 **प्रथम दीक्षांत समारोह में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को उपाधि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव ।**

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुए स्नातकोत्तर छात्र–छात्राओं के बैच 2012, 2013, 2014, 2015 एवं 2016 उत्तीर्ण वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018 की सूची एवं सभी उपाधियों का गहन अवलोकन करने के पश्चात उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की।

प्रस्ताव सं0 2019:08:08 **प्रथम दीक्षांत समारोह में स्नातक उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को स्नातक की उपाधि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव।**

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हुए स्नातक छात्र–छात्राओं के बैच 2012, 2013 एवं 2014 उत्तीर्ण वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 की सूची एवं सभी उपाधियों का गहन अवलोकन करने के पश्चात उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की।

प्रस्ताव सं0 2019:08:09 **प्रथम दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु धनराशि का व्यय विश्वविद्यालय बचत खाते से किये जाने के सम्बन्ध में।**

विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षान्त समारोह दिनांक 26 जून, 2019 के सफल आयोजन हेतु धनराशि रू0 18,11,000/– का अनुमानित व्यय है, जिसके लिए अतिथि तक विभिन्न स्त्रोतों से धनराशि रू0 11,00,000/–

की प्राप्ति हुई है। अतः धनराशि रू0 (18,11,000–11,00,000 = 7,11,000/–) का व्यय विश्वविद्यालय की आय एवं उपलब्ध/अवशेष धनराशि से करने का अनुमोदन वित्त समिति द्वारा किया गया है। जिसका संज्ञान मा. प्रबन्ध परिषद द्वारा लिया गया।

प्रस्ताव सं0 2019:08:10

विश्वविद्यालय में नियुक्त डा0 दीपा जोशी, सहायक प्राध्यापक, एग्रोनामी द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दिए जाने के सम्बन्धित प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में नियुक्त सहायक प्राध्यापक एग्रोनामी (ए0आई0सी0आर0पी0 मेडिसिनल प्लान्ट) डा0 दीपा जोशी द्वारा अपना योगदान 20 मार्च 2018 को दिया गया। तत्पश्चात् डा0 दीपा जोशी ने विश्वविद्यालय से अपना त्यागपत्र दिनांक 29.03.2019 को दे दिया है। विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद् की 6वीं बैठक दिनांक 27 जून 2018 के प्रस्ताव संख्या 2018:06:9 के अनुसार यदि कोई नियमित सहायक प्राध्यापक एवम् विषय वस्तु विशेषज्ञ तीन वर्ष की सेवा से पूर्व किसी अन्य संस्थान में सेवा हेतु या उच्च शिक्षा हेतु जाना चाहते हैं तो उनको अपने अंतिम तीन माह का वेतन विश्वविद्यालय में जमा करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त किया जायेगा। डा0 दीपा जोशी ने अपने त्यागपत्र में किसी अन्य संस्थान में सेवा हेतु या उच्च शिक्षा में जाने हेतु कोई भी तथ्य नहीं लिखा गया है। उक्त परिस्थिति में उनके त्यागपत्र को तीन माह की पूर्व सूचना पर त्यागपत्र स्वीकार किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध परिषद् द्वारा अवलोकनोपरान्त डॉ. दीपा जोशी, सहायक प्राध्यापक एग्रोनामी (ए0आई0सी0आर0पी0 मेडिसिनल प्लान्ट) के त्यागपत्र को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव सं0 2019:08:11

विश्वविद्यालय में आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आई.क्यू.ए.सी.) की स्थापना एवं कार्यरत् प्राध्यापकों/सह–प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों अथवा समकक्ष को कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम लागू किए जाने सम्बन्धित प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्यक्षता में आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आई.क्यू.ए.सी.) की स्थापना का प्रस्ताव संस्थान के लिए प्रलेखन तथा अभिलेखों का रख–रखाव करने वाले प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करेगा। जिसमें यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018 में प्रविष्ठ विनियमों के आधार पर मूल्यांकन मानदण्ड और पद्धति प्रारूप विकसित करने में सहायता प्रदान हो सकेगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में कार्यरत्

प्राध्यापकों/सह–प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों अथवा समकक्ष को कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018 के अनुरूप लागू करने की अनुमति मा0 प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रदान की गई तथा निदेशक एकेडेमिक को उपरोक्त सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिए अधिकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव सं0 2019:08:12

विश्वविद्यालय में वर्तमान में कार्यरत/तैनात शैक्षणिक/ शिक्षणेत्तर अस्थाई/ आउटर्सोसड कार्मिकों/अधिकारियों को स्थाई/सीधी भर्ती की प्रक्रिया के दौरान लिखित परीक्षा एवं आयु में वेटेज (अधिभार) दिये जाने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय में शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पदों पर स्थाई/सीधी भर्ती की प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय में सविदा पर कार्यरत तथा आउटर्सोसड शैक्षणिक/ शिक्षणेत्तर कार्मिकों/अधिकारियों को अधिभार (वेटेज) दिया जाना प्रस्तावित है। इस संदर्भ में प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत तथा आउटसोरस्ड शैक्षणिक/ शिक्षणेत्तर कार्मिकों/अधिकारियों को शासन द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय के रिक्त पदों पर स्थाई/सीधी भर्ती हेतु आयोजित लिखित परिक्षा/शैक्षणिक प्रदर्शन (Academic Performance)/ साक्षात्कार में कार्मिक (अभ्यर्थी) द्वारा प्राप्त कुल अंको का 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वेटेज जोड़ा जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी। यहां यह भी अवगत कराना समचीन होगा कि पूर्व में शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा भी पूर्व से कार्यरत संविदा/अस्थाई कार्मिकों को 10 प्रतिशत का अधिभार (वेटेज) अनुमन्य किया जा चुका है। **(उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना/प्रकीर्ण दिनांक 16. 11.2011 की छाया प्रति संज्ञानार्थ)**।

विश्वविद्यालय में लम्बे समय से संविदा पर कार्यरत तथा आउटर्सोसड शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों/अधिकारियों को शासन द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय के रिक्त पदों पर स्थाई/सीधी भर्ती में आयु सीमा में 03 वर्ष का अधिभार (वेटेज) दिया जाना प्रस्तावित है।

मा0 प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रस्ताव सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर निर्देश दिये गये कि प्रस्ताव के विस्तृत अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर समिति का गठन किया जाय, जिसमें कुलसचिव, वित्त अधिकारी, सह निदेशक शोध, सह निदेशक प्रसार, तथा उप वित्त नियंत्रक सदस्य होंगे। समिति की आख्या को आगामी मा. प्रबन्ध परिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

प्रस्ताव सं0 2019:08:13 **विश्वविद्यालय के वानिकी महाविद्यालय रानीचौरी परिसर में नवनिर्मित कामकाजी महिला छात्रावास का नाम गौरा देवी महिला छात्रावास किये जाने का प्रस्ताव ।**

प्रस्ताव पर मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव सं0 2019:08:14 **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य प्रस्ताव।**

प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव सं0 2019:08:14 (1): श्री सुमित चौधरी, सहायक प्राध्यापक, पर्वतीय कृषि महाविद्यालय, चिरबटिया द्वारा उच्च शिक्षा (पी.एच.डी.) हेतु एक वर्ष के अध्ययन अवकाश हेतु आवेदन।

श्री सुमित चौधरी, सहायक प्राध्यापक, पर्वतीय कृषि महाविद्यालय, चिरबटिया द्वारा उच्च शिक्षा (पी. एच.डी.) हेतु एक वर्ष के अध्ययन अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा श्री सुमित चौधरी के आवेदन पर गहन विचार–विमर्श किया गया। क्योंकि वर्तमान में पर्वतीय कृषि महाविद्यालय, चिरबटिया में एकमात्र श्री सुमित चौधरी ही नियमित शिक्षक हैं तथा महाविद्यालय में स्नातक कृषि पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अतः मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा श्री सुमित चौधरी का अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा श्री चौधरी को विश्वविद्यालय के परिसरों में ही अपने शोध सम्बन्धी कार्य/ प्रयोग किये जाने हेतु सहमति प्रदान की।

प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव सं0 2019:08:14 (2): विश्वविद्यालय के विभिन्न संसाधनों स्त्रोतों से वित्तीय वर्ष 2018–19 व 2019–20 तक विगत वर्षों सहित प्राप्त आय एवं उपलब्ध/ अवशेष धनराशि के विवरणानुसार आय एवं बचत धनराशि से विश्वविद्यालय मुख्यालय भरसार परिसर में बालक छात्रावास निर्माण हेतु प्रस्ताव।

मा. प्रबन्ध परिषद् द्वारा वित्त समिति से पारित उपरोक्त प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय के भरसार महाविद्यालय में विभिन्न संसाधनों स्त्रोतों से प्राप्त आय एवं उपलब्ध/अवशेष धनराशि से शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु नामित कार्यदायी संस्था से नियमानुसार एक नवीन बालक छात्रावास निर्माण के लिए रू0 4,00,00,000/–(चार करोड) तक की धनराशि व्यय करने की सहमति व्यक्त की गई। तथा यह भी निर्देश दिये कि शासन से उक्त कार्य हेतु धनराशि प्राप्त होने पर बचत से व्यय धनराशि को समायोजित किया जाय।

प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव सं0 2019:08:14 (3): विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थानों/केन्द्रो में विभिन्न संसाधनों से प्राप्त धनराशि का नवीन चक्रिय निधि खाते खोले जाने हेतु वित्त समिति का प्रस्ताव संज्ञानार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थानों/केन्द्रो में विभिन्न संसाधनों से प्राप्त आय/बचत धनराशि से निम्न विवरणानुसार नवीन चक्रिय निधि खाते खोले जाने पर सहमति प्रदान की है।

औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार के अर्न्तगत

01	प्रभारी अधिकारी परिवहन	50000.00
02	आवासीय भवनों का रख–रखाव	500000.00
03	प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय	500000.00

वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी के अर्न्तगत

01	शोध एवं प्रसार केन्द्र, काणाताल	500000.00
02	प्रभारी अधिकारी अतिथि गृह	50000.00
03	प्लान्ट पैथालॉजी ईकाई	50000.00
04	मैप	50000.00
05	प्रभारी अधिकारी, परिवहन	50000.00
06	आवासीय भवनों का रख–रखाव	500000.00
07	प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय	500000.00

कृषि महाविद्यालय, जखोली के अर्न्तगत

01	प्रभारी अधिकारी चक्रिय निधि खाता	7000.00
02	प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय	100000.00

उक्त खातों का संचालन अधिष्ठाता/प्रभारी अधिकारी एवं लेखाधिकारी/उप वित्त नियंत्रक के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जायेगें। वित्त समिति के प्रस्ताव का मा. प्रबन्ध परिषद द्वारा संज्ञान लिया गया एवं सहमति प्रदान की गई।

प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव सं0 2019:08:14 (4): माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार छात्रों से लिये जा रहे रख–रखाव शुल्क (Maintainence Fee) एवं मनोरंजन शुल्क (Recreational Fee) के महाविद्यालयवार पृथक खाते खोले गये है। जोकि निम्नवत् हैं :–

औद्यानिकी महाविद्यालय, भरसार

नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	धनराशि
रख–रखाव शुल्क (Maintainence Fee)	पंजाब नैशनल बैंक, भरसार	7699000100004260	15,57,550.00
मनोरंजन शुल्क (Recreational Fee)		7699000100004279	5,03,600.00
वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी			
रख–रखाव शुल्क/मनोरंजन शुल्क (Maintainence & Recreational Fee)	जिला सहकारी बैंक, रानीचौरी	000735002100009	13,18,375.00
कृषि महाविद्यालय, चिरबटिया			
रख–रखाव शुल्क/मनोरंजन शुल्क (Maintainence & Recreational Fee)	जिला सहकारी बैंक, रानीचौरी	000735002100010	4,05,975.00

वित्त समिति के स्वीकृति उपरांत उपरोक्त प्रस्ताव का मा. प्रबन्ध परिषद द्वारा संज्ञान लिया गया एवं सहमति प्रदान की गई।

प्रतिपूरक कार्यसूची प्रस्ताव सं0 2019:08:14 (5): वित्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव– विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत् शैक्षणिक (सहायक प्राध्यापक) कार्मिकों का 7वें वेतनमान के अनुरूप नियत वेतन रू0 45000/– (पैतालीस हजार) प्रतिमाह की दर से भुगतान करने पर मा. प्रबन्ध परिषद् ने सम्यक् विचारोपरान्त सहमति प्रदान की।

अन्त में अध्यक्ष महोदय ने मा0 प्रबन्ध परिषद् के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं तदोपरान्त सदन की कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

कुलसचिव/सदस्य सचिव, प्रबंध परिषद् **कुलपति/अध्यक्ष, प्रबंध परिषद्**